

आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण प्रकरण संख्या 261/2024 (धारा 14 सिक्क्योरिटाइजेशन)
एयू रमॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयू फाईनेन्सर (इण्डिया) लिमिटेड), पंजीकृत कार्यालय-19-ए, घुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. यो फैशन जरिये प्रोपराईटर श्री गजानन्द सैनी,
पता:- सूरज कॉम्प्लेक्स, बापू बाजार, चौमूं, जयपुर।
2. श्री गजानन्द सैनी पुत्र श्री गुलाब सैनी,
पता:- रींगस रोड, वार्ड नम्बर 27, चौमूं, जयपुर।
3. श्री पुष्पेन्द्र सैनी पुत्र श्री गुलाब चंद सैनी,
पता:- एस. एस. इरिग्रेशन पाईप फेक्ट्री, रघुनाथ जी की बगीची, वार्ड नं. 27, जयपुर।
4. श्रीमती नारंगी देवी पत्नी श्री गुलाब चंद सैनी,
पता:- रींगस रोड, वार्ड नम्बर 27, चौमूं, जयपुर।
अन्य पता:- वार्ड नं. 1, रघुनाथ दास की बगीची के पास, रींगस रोड, चौमूं, जयपुर।



अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित:- श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 06.12.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.09.2020 को पुनर्मुर्गतान हेतु जमानत प्रतिमूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती नारंगी देवी सैनी के स्वामित्व की संपत्ति पट्टा संख्या 44, वार्ड नं. 1, रघुनाथ दास की बगीची के पास, रींगस रोड, चौमूं, जयपुर, क्षेत्रफल 91.04 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 20,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण मुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.08.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज मुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर बयपुर (ग्रामीण)

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिकारता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गलीगंति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 20,00,000/—रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंधक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 21,33,884/—रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.08.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती नारंगी देवी सैनी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति पददा संख्या 44, वार्ड नं. 1, रघुनाथ दास की बगीची के पास, रींगस रोड़, चौमूं, जयपुर, क्षेत्रफल 91.04 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रतिलिपि हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 06.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी)
बिला प्रजिस्ट्रेट
कलकट बसपुर (ग्रामीण)